2025:CGHC:38936–DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 2009/2019

निर्णय सुरक्षित रखने का दिनाँक 31.07.2025

निर्णय पारित करने का दिनाँक 06.08.2025

- राजेश ठाकुर उर्फ छोटू उर्फ राजेंद्र ठाकुर पिता शंभू ठाकुर, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी– अड्डराहगुडी, थाना– पिथौरा, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़, जिला : महासमुंद, छत्तीसगढ़

... अपीलार्थी

विरुद्ध

- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः थाना प्रभारी, थाना– पिथौरा, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़, जिला : महासमुंद, छत्तीसगढ़

...प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री अक्षत तिवारी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी /राज्य की ओर से	:	श्री आशीष शुक्ला, अतिरिक्त महाधिवक्ता

युगलपीठ

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद

सीएवी निर्णय

द्वारा, अमितेंद्र किशोर प्रसाद

1. यह दाण्डिक अपील सत्र न्यायाधीश, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.) द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 29/2018 में दिनांक 09.05.2019 को पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थी को निम्नानुसार दोषसिद्ध एवं दण्डित किया है:–

दोषसिद्धि		**दण्डादेश**
भारतीय दण्ड संहिता(संक्षिप्त में 'भा.द.सं.') की धारा 302 के अधीन		आजीवन कारावास एवं 1,000/– रुपए का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास

2. अभियोजन का प्रकरण यह है कि घटना दिनांक 23.03.2018 से लगभग तीन वर्ष पूर्व मृतका श्रीमती सुशीला बडिहा ने ग्राम अड्डराहगुडी निवासी राजकुमार ठाकुर के साथ प्रेम विवाह किया था। अपने पति के साथ वैवाहिक विवाद होने के कारण मृतका अपने मायके ग्राम सिंधूपाली में अपने माता–पिता के साथ रह रही थी। दिनांक 23.03.2018 को दोपहर के समय जब मृतका अपने मायके में अकेली थी, तब अभियुक्त राजेश ठाकुर, जो उसका देवर है,एक अज्ञात व्यक्ति के साथ वहाँ आया। आरोप है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने मृतका के शरीर पर मिट्टीतेल डालकर उसे आग के हवाले किया और फिर वहाँ से फरार हो गया। उसकी चीख–पुकार सुनकर अ.सा.–2 रसिया, उसकी पत्नी तथा मृतका की मंझली बहन वहाँ पहुँचे और मृतका को आग की लपटों में घिरा हुआ पाया। तब वह अ.सा.–2 रसिया ने अपने हाथों से आग बुझाने का प्रयास किया, परंतु असफल होने पर अपने घर से पानी लाकर आग को बुझाया। इस प्रक्रिया में अ.सा.–2 रसिया के दाहिने हाथ की उंगलियाँ भी जल गईं। इस दौरान अनेक ग्रामीण वहाँ इकट्ठा हो गए और मृतका ने उनके समक्ष यह बताया कि उसका देवर/अभियुक्त एक अज्ञात व्यक्ति के साथ आया, उसके ऊपर मिट्टीतेल डालकर आग लगा दी और फरार हो गया। इसके पश्चात् वहाँ उपस्थित लोगों ने 108 एम्बुलेंस को बुलाया, जिसके माध्यम से मृतका को शासकीय अस्पताल, पिथौरा ले जाया गया। इसी बीच, अ.सा.–2 रसिया ने घटना की सूचना थाना पिथौरा को दी। उक्त सूचना के आधार पर, मर्ग सूचना क्रमशः प्र.पी.–23 एवं प्र.पी.–24 तथा धारा 307 भारतीय दंड संहिता सहपठित धारा 34 के अधीन अपराध क्रमांक 40/2018 में अभियुक्त राजेश ठाकुर एवं एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.–06) पंजीबद्ध की गई। शासकीय अस्पताल पिथौरा में प्रारंभिक उपचार के दौरान मृतका का मृत्युकालिक कथन (प्र.पी.–5) अ.सा.–1 डॉ. एस.एन. दड़सेना द्वारा अभिलिखित किया गया, जिसमें पाया गया कि मृतका को 100% जलने की चोटें आई थीं, उसके शरीर से मिट्टीतेल की गंध आ रही थी तथा वह प्रथम से तृतीय श्रेणी तक जल चुकी थी। इसके बाद, बेहतर उपचार हेतु मृतका को मेकाहारा अस्पताल, रायपुर रेफर किया गया, किंतु मेकाहारा अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात् प्र.पी.–31 के तहत मृत्यु समीक्षा कार्यवाही की गई तथा मृतका के शव को शवपरीक्षण हेतु भेजा गया, जहाँ अ.सा.–12 डॉ. एम. निराला ने शवपरीक्षण किया और यह अभिमत व्यक्त किया कि मृतका की मृत्यु जलने से आई चोटों एवं उनकी जटिलताओं के कारण हुई है और इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्र.पी.–29 दी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. विवेचना के दौरान, घटनास्थल से माचिस की तीलियाँ, जला वस्त्र, मिट्टी तथा 5 लीटर की जरीकैन को जप्त किया गया, जिसका विवरण प्र.पी.–08 में दर्ज है। घटनास्थल का नक्शा प्र.पी.–15 के माध्यम से तैयार किया गया तथा जप्त सामग्री को परीक्षण हेतु न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित किया गया। विवेचना एवं अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण होने पर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिथौरा, जिला महासमुंद के समक्ष अभियुक्त राजेश ठाकुर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोजन द्वारा अपराध साबित करने हेतु कुल 15 साक्षियों अर्थात् अ.सा.–1 से अ.सा.–15 का परीक्षण कराया गया तथा 32 दस्तावेज प्र.पी./1 से प्र.पी./32 प्रदर्शित किए गए। अभियुक्त/अपीलार्थी का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध विरचित सभी आरोपों का अस्वीकार किया स्वयं को निर्दोष एवं प्रकरण में झूठे फँसाए जाने का अभिवाक किया। बचाव में, अपीलार्थी द्वारा किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया, तथापि दो दस्तावेज प्र.पी.–1 एवं प्र.पी.–2 प्रदर्शित किए गए।

5. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचना के उपरांत अपने आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थी को प्रथम कण्डिका में उल्लेखित अनुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया है। उक्त निर्णय को अपीलार्थी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन प्रस्तुत इस दाण्डिक अपील में चुनौती दी गई है।

6. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय आक्षेपित निर्णय पारित करते समय इस तथ्य पर विचार करने में असफल रहा है कि अभियोजन ने अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध साबित करने हेतु आवश्यक हेतुक व आशय अभियोजन द्वारा साबित नहीं किया जा सका है। अपीलार्थी के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और अभियोजन का संपूर्ण प्रकरण अ.सा.–1 डॉ. एस.एन. दड़सेना के समक्ष दिए गए कथित मृत्युकालिक कथन पर आधारित है। उन्होंने आगे तर्क किया हैं कि अभियोजन का प्रकरण पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, परंतु विचारण न्यायालय द्वारा जिन परिस्थितियों का अवलंब लिया गया है, वे विधि सम्मत साबित नहीं हुआ हैं। डॉ. दड़सेना के समक्ष अभिलिखित कथित मृत्युकालिक कथन (प्र.पी.–5) अत्यंत संदिग्ध है, क्योंकि यह एक चिकित्सक द्वारा अभिलिखित किया गया है तथा न तो यह विधिसम्मत साबित है और न ही किसी मेमो या अन्य संपुष्ट साक्ष्य से इसकी पुष्टि होती है। जप्ती की कार्यवाही भी विधि के अनुसार साबित नहीं हुई है। अधिकांश अभियोजन साक्षी, जिनमें महत्त्वपूर्ण साक्षी भी सम्मिलित हैं, पक्षद्रोही हो चुके हैं और अभियोजन के कथन का समर्थन नहीं करते। अतः केवल मृत्युकालिक कथन के आधार पर दोषसिद्धि यथावत नहीं रह सकती, विशेषतः तब जब वह कथन दोषपूर्ण तथा अपुष्ट हो। इसलिए, दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किया जाए और अपीलार्थी को उसके विरुद्ध विरचित आरोप से दोषमुक्त किया जाए। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के **इरफान उर्फ नाका विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य**[1] तथा **संपत बाबसो काले व एक अन्य विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य**[2] के निर्णयों का अवलंब लिया गया है।

7. राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क किया कि अभियोजन अपीलार्थी का अपराध साबित करने में समर्थ रहा है तथा उसे दोषसिद्ध करने हेतु

1 2023 SCC OnLine SC 1060
2 2019 Supreme (SC) 415

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं तथा उसे उचित रुप से दोषसिद्ध किया है। उन्होंने यह भी तर्क किया कि मृतका का मृत्युकालिक कथन (प्र.पी./5) सत्य, स्वैच्छिक तथा मानसिक रूप से सक्षम अवस्था में दिया गया था, इसलिए यह विश्वसनीय है तथा अपील निरस्त की जाए।

8 . हमनें पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना है एवं उनके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख का भी अत्यंत सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया है

9. अपीलार्थी को केवल मृतका के मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी/5 के आधार पर ही दोषसिद्ध किया गया है और उपर्युक्त मृत्युकालिक कथन के सिवाय अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए कोई अन्य साक्ष्य, कोई विधिक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः, अभियोजन साक्षी–1 डॉ. एस. एन. दड़सेना द्वारा अभिलिखित मृतका के मृत्युकालिक कथन पर विचार करना उचित होगा।

10. इस स्तर पर, साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (1) पर विचार करना उचित होगा, जो निम्नानुसार है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> **"32. वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है. जो मर गया है या मिल नहीं सकता, इत्यादि–** सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे, जो मर गया है या मिल नहीं सकता है या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या जिसकी हाजिरी इतने विलम्ब या व्यय के बिना उपाप्त नहीं की जा सकती, जितना प्रकरण की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है, निम्नलिखित दशाओं में स्वयमेव सुसंगत हैं–
>
> **(1) जबकि वह मृत्यु के कारण से सम्बन्धित है –** जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तब उन मामलों में, जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो। ऐसे कथन सुसंगत है चाहे उस व्यक्ति को, जिसने उन्हें किया है, उस समय जब वे किए गए थे मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं और चाहे उस कार्यवाही की, जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है, प्रकृति कैसी ही क्यों न हो।
>
> xxx xxx xxx"

11. साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) को विशेषतः "मृत्युकालिक कथन" की धारा के रूप में संदर्भित किया जाता है, यद्यपि उक्त वाक्यांश का स्वयं साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कोई उल्लेख नहीं मिलता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण ने विभिन्न अवसरों पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के व्याप्ति और परिधि पर विचार किया है, विशेष रूप से धारा 32(1) पर, जिसमें **शरद बिरदीचंद सारदा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य**[3] के प्रकरण भी सम्मिलित हैं, जिसमें माननीय न्यायाधिपतिगण ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) में सूचीबद्ध सिद्धांतों का सार प्रस्तुत किया है, जिसमें "संव्यवहार की परिस्थितियों" से संबंधित सिद्धांत भी शामिल हैं।

> 21. इस प्रकार, ऊपर्युक्त उल्लिखित अधिकारिता के पुर्नविलोकन और साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) की स्पष्ट भाषा से, निम्नलिखित सिद्धांत उभरते हैं:
> (1) धारा 32 अनुश्रुत साक्ष्य के नियम का एक अपवाद है और यह मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति के कथन को ग्राह्य बनाती है, चाहे मृत्यु मानव वध हो या आत्महत्या, बशर्ते वह कथन मृत्यु के कारण से संबंधित हो, या मृत्यु की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों को प्रदर्शित करता हो। इस संबंध में, जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है, हमारे समाज की विशिष्ट परिस्थितियों और हमारे लोगों की विविध प्रकृति और चरित्र को देखते हुए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने अन्याय से बचने के लिए धारा 32 के क्षेत्र को व्यापक करना आवश्यक समझा है।
> (2) निकटता का परीक्षण को बहुत शाब्दिक रूप से निर्मित नहीं किया जा सकता और न ही इसे सार्वभौमिक अनुप्रयोग के एक पूर्वनिर्धारित सूत्र तक व्यावहारिक रूप से सीमित किया जा सकता है ताकि यह एक संकुचित दायरे में बंधा रहे। समय की दूरी प्रत्येक प्रकरण की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी या उनके साथ भिन्न होगी। उदाहरण के लिए, जहाँ मृत्यु एक निरंतर नाटक की तार्किक परिणति है जो लंबे समय से चल रहा है और यह एक प्रकार से कहानी का समापन है, तो नाटक के अंत से सीधे जुड़े प्रत्येक सोपान से संबंधित कथन ग्राह्य होगा क्योंकि संपूर्ण कथन को एक जैविक समग्र के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, न कि संदर्भ से अलग किया जाना चाहिए। कभी–कभी तात्कालिक हेतुक से संबंधित या उसे उपलब्ध कराने वाले कथन भी मृत्यु के संव्यवहार का हिस्सा होने के नाते ग्राह्य हो सकते हैं। यह स्पष्ट है कि ये सभी कथन केवल मृतका की मृत्यु के बाद ही प्रकाश में आते हैं, जो मृत्यु के उपरांत बोलता है। उदाहरण के लिए, जहाँ विवाह के बहुत कम समय के भीतर मृत्यु होती है या समय की दूरी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3 (1984) 4 SCC 116

3–4 माह से अधिक नहीं फैली है, तो कथन धारा 32 के अधीन ग्राह्य हो सकता है।

(3) धारा 32 के खंड (1) का दूसरा भाग इस नियम का एक और अपवाद है कि दाण्डिक विधि में, उस व्यक्ति का साक्ष्यिक मूल्य नहीं होगा जिसे अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षण करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था या अवसर नहीं दिया गया था, क्योंकि प्रतिपरीक्षण का स्थान शपथ की गंभीरता और पवित्रता द्वारा लिया जाता है, जिसका सीधा कारण यह है कि मृत्यु के कगार पर खड़ा व्यक्ति झूठा कथन देने की संभावना नहीं रखता है, जब तक कि यह दर्शाने के लिए ठोस साक्ष्य न हो कि कथन उकसाने या सिखाने द्वारा प्राप्त किया गया था।

(4) यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि धारा 32 केवल मानव वध की बात नहीं करती है, बल्कि इसमें आत्महत्या भी शामिल है, अतः वे सभी परिस्थितियाँ जो मानव वध के प्रकरण को साबित करने के लिए सुसंगत हो सकती हैं, वे आत्महत्या के प्रकरण को साबित करने के लिए भी समान रूप से सुसंगत होंगी।

(5) जहाँ मुख्य साक्ष्य मृतका द्वारा लिखित कथनों और पत्रों से मिलकर बनता है जो सीधे उसकी मृत्यु से जुड़े या संबंधित हैं और जो एक रहस्योद्घाटन कहानी का अनावरण करते हैं, तो उक्त कथन स्पष्ट रूप से धारा 32 के परिधि में आएंगे, और इसलिए, ग्राह्य होंगे। ऐसे मामलों में केवल समय की दूरी ही कथन को असंगत नहीं बनाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. तत्पश्चात्, **<u>देवेंद्र उर्फ काला राम व अन्य विरुद्ध हरियाणा राज्य</u>**[4] के प्रकरण में, जिसमें मृतका ने, जो स्टोव पर खाना बनाते समय जल गई थी, चिकित्सक को एक कथन दिया था, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपतिगण ने यह अभिनिर्धारित किया कि चिकित्सक द्वारा अभिलिखित मृतका का कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत सुसंगत है और निम्नानुसार अभिव्यक्त किया:

> "14. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में, हम पाते हैं कि अभियोजन साक्षी 7 (अ.सा. 7), सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी ने दिनाँक 6–8–1992 को प्रातः 6:30 बजे मृतका का परीक्षण किया और उन्होंने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि परीक्षण के समय वह होश में थी और उसके शरीर पर पैरों, चेहरे और पेरिनियम के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर हर जगह सतही से गहरे घाव थे तथा उसके शरीर से मिट्टीतेल की गंध आ रही

4 (2012) 10 SCC 763

थी। उन्होंने अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया कि मृतका को उसके पति काला राम (अपीलार्थी 1) द्वारा अस्पताल लाया गया था। उन्होंने अस्पताल में मृतका से संबंधित बेड–हेड टिकट (प्रदर्श डी.डी.) के साथ–साथ प्रदर्श डी.डी. पर बिंदु 'ए' पर अपने हस्ताक्षर को भी साबित किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि रोगी ने स्वयं उन्हें बताया था कि वह स्टोव पर खाना बनाते समय जल गई थी। अभियोजन साक्षी 7 द्वारा अभिलिखित मृतका का यह कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32 के तहत सुसंगत है, जो यह उपबंधित करती है कि मृत व्यक्ति द्वारा किए गए सुसंगत तथ्यों के कथन, चाहे वे लिखित हों या मौखिक, स्वयं सुसंगत तथ्य होते हैं जब वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के संबंध में, या उस संव्यवहार की किसी भी परिस्थिति के संबंध में किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है।"

13. तत्पश्चात्, **पुरुषोत्तम चोपड़ा व एक अन्य विरुद्ध राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार)**[5] के प्रकरण में, मृत्युकालिक कथन के अभिलेखन और उसकी ग्राह्यता एवं विश्वसनीयता से संबंधित सिद्धांतों को कण्डिका 21 में निम्नानुसार संक्षिप्त में प्रस्तुत किया गया था:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"21. जो कुछ भी यहाँ ऊपर अभिलक्षित किया गया है, उसके लिए मृत्युकालिक कथन के अभिलेखन और उसकी ग्राह्यता एवं विश्वसनीयता से संबंधित कुछ सिद्धांतों को उपयोगी रूप से निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है:–

21.1. एक मृत्युकालिक कथन दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है, भले ही वह संपुष्टि के बिना हो, यदि वह न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करता है।

21.2. न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि कथनकर्ता कथन देते समय स्वस्थचित्त था; और कि यह एक स्वैच्छिक कथन था, जो सिखाने, उकसाने या कल्पना का परिणाम नहीं था।

21.3. जहाँ कोई मृत्युकालिक कथन संदेहास्पद है या उसमें कोई दुर्बलता है, जैसे कि कथनकर्ता के स्वस्थचित्त की कमी या उसी प्रकृति की कोई अन्य दुर्बलता, तो इस पर संपुष्ट साक्ष्य के बिना कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए।

---

5 (2020) 11 SCC 489

21.4. जब चक्षुदर्शी साक्षी यह पुष्टि करते हैं कि मृतका कथन देने के लिए स्वस्थ और सचेत अवस्था में नहीं था, तो चिकित्सीय राय अभिभावी नहीं हो सकती।

21.5. विधि में यह प्रावधान नहीं है कि मृत्युकालिक कथन कौन अभिलिखित कर सकता है और न ही इसके लिए कोई निर्धारित प्रारूप या प्रक्रिया है, किन्तु मृत्युकालिक कथन को अभिलिखित करने वाले व्यक्ति को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि कथनकर्ता स्वस्थचित्त अवस्था में है और कथन देने में सक्षम है।

21.6. यद्यपि मृत्युकालिक कथन को अभिलिखित करने के लिए मजिस्ट्रेट की उपस्थिति नितान्त आवश्यक नहीं है, किन्तु प्रामाणिकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, यह अपेक्षित है कि मजिस्ट्रेट से ऐसे मृत्युकालिक कथन को अभिलिखित करने का अनुरोध किया जाए और/या मृत्युकालिक कथन को अभिलिखित करने के समय उपस्थित अन्य व्यक्तियों से अनुप्रमाणन प्राप्त किया जाए।

21.7. जहाँ तक जलने के प्रकरणों का संबंध है, जलने का प्रतिशत और श्रेणी, स्वयं में, मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता का निर्णायक नहीं होगा; और निर्णायक कारक कथन देने के लिए कथनकर्ता की स्वस्थ और सचेत अवस्था के बारे में साक्ष्य की गुणवत्ता होगी।

21.8. यदि सावधानीपूर्वक जाँच के पश्चात्, न्यायालय यह पाता है कि मृत्युकालिक कथन के रूप में प्रस्तुत किया गया कथन स्वैच्छिक है और उसे सुसंगत तथा संगत भी पाता है, तो संपुष्टि के बिना भी उसके आधार पर दोषसिद्धि दर्ज करने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अवधारणीय प्रश्न यह है कि क्या उपचार के दौरान अभियोजन साक्षी–1 डॉ. एस.डी. दड़सेना द्वारा अभिलिखित मृतका का कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत सुसंगत है या नहीं?

15. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32(1) यह स्पष्ट करती है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के संबंध में, या उस संव्यवहार की किसी भी परिस्थिति के संबंध में, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, लिखित या मौखिक कथन किया जाता है, उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है, तो ऐसा कथन सुसंगत होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शरद बिरदीचंद सारदा** (पूर्वोक्त) में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया था कि धारा 32 अनुश्रुत साक्ष्य के नियम का एक अपवाद है और उस व्यक्ति के कथन को ग्राह्य बनाती है जिसकी मृत्यु हो जाती है, चाहे वह मृत्यु मानव वध हो या आत्महत्या, बशर्ते वह कथन मृत्यु के कारण से संबंधित हो या मृत्यु की ओर ले

जाने वाली परिस्थितियों से संबंधित हो। **शरद बिरदीचंद सारदा** (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पूर्व के प्राधिकारियों की पुर्नविलोकन करते हुए **कंस राज विरुद्ध पंजाब राज्य**[6] के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा आगे अनुपालित किया गया है।

16. अपीलार्थी की ओर से किए गए तर्कों पर विचार करने से पूर्व, कुछ तथ्यों पर विचार करना उचित होगा जो अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट हैं।

17. मृतका का मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी/5) अभियोजन साक्षी–1 डॉ. एस.एन. दड़सेना द्वारा दिनाँक 23.03.2018 को अभिलिखित किया गया था। मृतका को दिनाँक 23.03.2018 को जलने की चोटें आईं और उसे तुरंत सीएचसी, पिथौरा ले जाया गया जहाँ डॉ. एस.एन. दड़सेना (अभियोजन साक्षी–1) द्वारा उसका परीक्षण किया गया, जिन्होंने पाया कि मृतका 100% जलने की चोटों से ग्रसित थी, उसके शरीर से मिट्टीतेल की गंध आ रही थी और वह प्रथम श्रेणी से तृतीय श्रेणी तक जली हुई थी। उन्होंने आगे तर्क किया है कि अपने परीक्षण के आधार पर, उन्होंने यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी किया कि मृतका मृत्युकालिक कथन देने के लिए स्वस्थचित्त अवस्था में थी। तत्पश्चात्, उसी दिन लगभग 3:45 बजे उन्होंने मृतका का मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी–5 अभिलिखित किया।

18. मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी–5) के सावधानीपूर्वक परिशीलन से यह प्रकट होता है कि मृतका ने कथन किया कि घटना की तिथि को दो व्यक्ति उसके घर आए थे, जिनमें से एक उसका देवर/ अभियुक्त–राजेश था और वह दूसरे व्यक्ति को नहीं जानती थी। उसके कथनानुसार, अज्ञात व्यक्ति ने उसके हाथ पकड़ लिए जबकि अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसके शरीर पर मिट्टी तेल डाल दिया, उसे आग लगा दी और फिर वे दोनों घटनास्थल से फरार हो गए। उसकी चीखें सुनकर, उसके पड़ोसी और गाँव के लोग वहाँ आए और आग बुझाई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. अब, प्रश्न यह होगा कि क्या उसके द्वारा दिया गया मृत्युकालिक कथन सत्य था और स्वेच्छा से दिया गया था और क्या बिना किसी संपुष्टि के आधार पर दोषसिद्धि किया जा सकता है?

20. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **जयम्मा व अन्य विरुद्ध कर्नाटक एक राज्य**[7] के प्रकरण में **चाको विरुद्ध केरल राज्य**[8] के प्रकरण में विचार और यह अभिनिर्धारित किया है:–

> 14.2. **चाको विरुद्ध केरल राज्य** प्रकरण में, इस न्यायालय ने अभियोजन के प्रकरण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जो

6 AIR 2000 SC 2324
7 (2021) 6 SCC 213
8 (2003) 1 SCC 112, paras 3 and 4

> मृत्युकालिक कथन पर आधारित था, जहाँ मृतका की आयु लगभग 70 वर्ष थी और वह 80 प्रतिशत जली हुई थी। यह अभिमत व्यक्त किया गया था कि यह स्वीकार करना कठिन होगा कि आहत व्यक्ति जलने की घटना के लगभग 8 से 9 घंटे की अवधि के बाद भी, चोटों के प्रेरक हेतुक और तरीके के संबंध में मिनट–दर–मिनट विवरण देते हुए एक विस्तृत मृत्युकालिक कथन दे सकता था। यह निस्संदेह ऐसा प्रकरण था जहाँ मृतका की मृत्युकालिक कथन देने के लिए मानसिक और शारीरिक स्थिति के संबंध में चिकित्सक द्वारा कोई प्रमाणीकरण नहीं किया गया था। फिर भी, इस न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि जिस तरीके से मृत्युकालिक कथन में घटना को अभिलिखित किया गया था, उसने दस्तावेज़ की सत्यता पर गंभीर संदेह उत्पन्न किया। न्यायालय ने आगे यह अभिमत व्यक्त किया कि यद्यपि चिकित्सक ने घाव प्रमाण पत्र में "रोगी सचेत है, बात कर रहा है" दर्ज किया था, यह तथ्य स्वयं में मृत्युकालिक कथन देने के लिए रोगी की स्थिति के संबंध में अभियोजन के प्रकरण को आगे नहीं बढ़ाएगा, और न ही चिकित्सक या विवेचना अधिकारी का वह मौखिक साक्ष्य जो पहली बार न्यायालय के समक्ष दिया गया था, अभियोजन के प्रकरण को किसी भी तरह से सुधार पाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. हाल ही में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **इरफ़ान (पूर्वोक्त)**[9] के प्रकरण में इस बात पर विश्वास करने के लिए कुछ मानकों पर विचार किया है कि क्या किसी मृत्युकालिक कथन पर केवल एक आधार के रूप में दोषसिद्धि सुरक्षित करने के लिए कार्यवाही की जा सकती है या नहीं। निम्नानुसार अवधारित किया गया था कि:–

> 62. यह निर्धारित करने के लिए कोई कठोर और तीव्र नियम नहीं है कि किसी मृत्युकालिक कथन को कब स्वीकार किया जाना चाहिए; न्यायालय का कर्तव्य है कि वह प्रकरण के तथ्यों और आस–पास की परिस्थितियों में इस प्रश्न का निर्णय करे और उसकी सत्यता के संबंध में पूरी तरह से आश्वस्त हो। नीचे दिए गए कुछ कारकों पर विचार किया जा सकता है, तथापि, वे केवल मृत्युकालिक कथन के भार को प्रभावित करेंगे, न कि उसकी ग्राह्यता को:–
>
> (i) क्या कथनकर्ता व्यक्ति मृत्यु प्रत्याशा में था?

9 2023 SCC OnLine SC 1060

(ii) क्या मृत्युकालिक कथन शीघ्रतम अवसर पर किया गया था? "प्रथम अवसर का नियम ?"

(iii) क्या यह विश्वास करने का कोई युक्तियुक्त संदेह है कि मृत्युकालिक कथन मरते हुए व्यक्ति को सिखाया गया था?

(iv) क्या मृत्युकालिक कथन पुलिस या किसी हितबद्ध पक्षकार के कहने पर उकसाने, सिखाने या प्रेरित करने का परिणाम था?

(v) क्या कथन को ठीक से अभिलिखित नहीं किया गया था?

(vi) क्या मृतक कथनकर्ता को घटना को स्पष्ट रूप से देखने का अवसर मिला था?

(vii) क्या मृत्युकालिक कथन प्रारंभ से अंत तक सुसंगत रहा है?

(viii) क्या मृत्युकालिक कथन स्वयं में मरते हुए व्यक्ति की कल्पना का प्रकटीकरण/कथा है कि वह क्या सोचता है कि घटित हुआ है?

(ix) क्या मृत्युकालिक कथन स्वयं स्वैच्छिक था?

(x) एकाधिक मृत्युकालिक कथनों के प्रकरण में, क्या पहला कथन सत्य को प्रेरित करता है और अन्य मृत्युकालिक कथनों के साथ सुसंगत है?

(xi) क्या, चोटों के अनुसार, मृतका के लिए मृत्युकालिक कथन करना असंभव रहा होगा?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

63. यह अभियोजन का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के विरुद्ध अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करे। संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त के पक्ष में जाना चाहिए। यह सत्य है कि मृत्युकालिक कथन साक्ष्य का एक तात्विक भाग है, जिसका अवलंब लिया जा सकता है बशर्ते यह साबित हो जाए कि यह स्वैच्छिक और सत्य था तथा पीड़ित सही मानसिक स्थिति में था। न्यायालय के लिए यह कहना पर्याप्त नहीं है कि मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय है क्योंकि अभियुक्त का नाम मृत्युकालिक कथन में हमलावर के रूप में लिया गया है।

22. इसी प्रकार, **सम्पत बाबसो** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कण्डिका 14 व 15 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: –

14. निःसंदेह, एक मृत्युकालिक कथन साक्ष्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है और जहाँ न्यायालय को समाधान हो जाता है कि मृत्युकालिक कथन सत्य, स्वैच्छिक है और किसी बाहरी प्रभाव का परिणाम नहीं है, तो न्यायालय केवल एक मृत्युकालिक कथन के आधार पर ही अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सकता है। हमें संपूर्ण विधि का उल्लेख करने की

आवश्यकता नहीं है, किंतु इस न्यायालय के निर्णय शाम शंकर कनकारिया विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, [(2006) 13 एससीसी 165] के प्रकरण में पारित निर्णय का उल्लेख करना उपयुक्त होगा ,जिसमें निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: –

> "11. यद्यपि मृत्युकालिक कथन को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, यह उल्लेख करना उचित है कि अभियुक्त को प्रति–परीक्षण का कोई अधिकार नहीं होता। सत्य को उजागर करने के लिए प्रति–परीक्षण का अधिकार उतना ही आवश्यक होती है जितनी कि शपथ का दायित्व। यही कारण है कि न्यायालय यह भी आग्रह करता है कि मृत्युकालिक कथन ऐसा होना चाहिए जो अपनी सत्यता के संबंध में न्यायालय में पूर्ण विश्वास प्रेरित करे। न्यायालय को सावधान रहना चाहिए कि मृतक का कथन न तो किसी प्रकार के सिखाने, उकसावे या कल्पना का परिणाम हो। न्यायालय को यह भी समाधान होना चाहिए कि मृतक की मानसिक स्थिति ठीक थी और उसे हमलावर को देखने व पहचानने का स्पष्ट अवसर मिला था। एक बार जब न्यायालय को यह समाधान हो जाए कि कथन सत्य और स्वैच्छिक था, तो निःसंदेह उसके आधार पर बिना किसी अन्य संपुष्टि के दोषसिद्धि की जा सकती है। यह विधि का कोई पूर्ण और अनिवार्य नियम नहीं है कि मृत्युकालिक कथन पर तब तक दोषसिद्धि नहीं हो सकती जब तक उसका संपुष्टि न हो। संपुष्टि की आवश्यकता मात्र सावधानी का एक नियम है....."
>
> 15. वर्तमान प्रकरण में, जैसा कि हमने पहले ही अभिनिर्धारित किया है, इस बात पर कुछ संदेह था कि क्या पीड़ित कथन करने के लिए सही मानसिक स्थिति में थी। निःसंदेह, चिकित्सक ने कथन किया था कि वह सही मानसिक स्थिति में थी, किंतु उसने स्वयं अपने साक्ष्य में स्वीकार किया था कि 98% जली पीड़ित के प्रकरण में, सदमा भ्रम पैदा कर सकता है। इसके अतिरिक्त, हमारे विचार से, आघात के साथ दर्द निवारक दवाओं के दिए जाने के संयुक्त प्रभाव से संभावित भ्रम का प्रकरण उत्पन्न हो सकता है, और इसलिए वर्तमान प्रकरण (2006) 13 SCC 165 में संपुष्ट साक्ष्य की खोज करने की आवश्यकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. अगला अवधारणीय प्रश्न यह है कि क्या मृतका द्वारा (अ.सा.– 1) डॉ. एस.एन. दड़सेना के समक्ष दिया गया कथित मृत्युकालिक कथन (प्र.पी./5) सत्य और स्वैच्छिक था और क्या यह मृतका द्वारा सही मानसिक स्थिति में दिया गया था।

24. अ.सा.– 1 डॉ. एस.एन. दड़सेना ने कथन दिया है कि दिनांक 23.03.2018 को लगभग 3:35 अपराह्न पर, मृतका को जली हुई अवस्था में अस्पताल लाया गया था और परीक्षण करने पर, उन्होंने पाया कि मृतका को 100% जलने की चोटें आई थीं, उसके शरीर से मिट्टीतेल की गंध आ रही थी और उसकी जलने की चोटें प्रथम–श्रेणी से तृतीय–श्रेणी तक थीं। उन्होंने आगे कथन किया है कि चिकित्सीय परीक्षण के बाद, उन्होंने पाया कि मृतका मृत्युकालिक कथन देने के लिए सही मानसिक स्थिति में थी और तदनुसार इस आशय का एक प्रमाण पत्र जारी किया। उन्होंने यह भी कथन किया है कि उस समय कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुपलब्धता और स्थिति की तत्काल आवश्यकता को विचार में रखते हुए, उन्होंने स्वयं एक स्टाफ नर्स और एक ड्रेसर की उपस्थिति में मृतका का मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की। मृतका का कथन अभिलिखित करने के उपरांत, उन्होंने मृतका का अंगूठे का निशान लिया और वहाँ उपस्थित साक्षियों के हस्ताक्षर प्राप्त किए। इस साक्षी का प्रतिपरीक्षण कराया गया और प्रतिपरीक्षण में, उसने स्वीकार किया कि मृतका के संपूर्ण शरीर पर जलने की चोटें थीं, जिसमें उसकी हथेलियाँ और चेहरा भी शामिल थे, जो पूरी तरह से जल गए थे। जब उसके अंगूठे की स्थिति के बारे में प्रश्न पूछा गया, तो उसने कथन किया कि अंगूठे की त्वचा केवल थोड़ी जली हुई थी और इसलिए, प्रतीकात्मक अंगूठे का निशान लिया गया था। उसने आगे स्वीकार किया कि जलने की चोटें एक रोगी की मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। उसने यह भी स्वीकार किया कि उस समय मृतका के कोई नातेदार अस्पताल में मौजूद थे या नहीं, इसकी उसे जानकारी नहीं थी। इसके अतिरिक्त, उसने स्वीकार किया कि मृतका का कथन अभिलिखित करते समय, उसने उप–निरीक्षक को बाहर इंतजार करने का निर्देश दिया था और मृत्युकालिक कथन ड्रेसिंग रूम के अंदर अभिलिखित किया गया था। अपने कथन के कण्डिका 15 में, उसने पुनः दोहराया कि जलने की चोटों के कारण मृतका उचित अंगूठे का निशान देने की स्थिति में नहीं थी और केवल एक प्रतीकात्मक अंगूठे का निशान लिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. इसके अतिरिक्त, अ.सा.– 12, डॉ. एम. निराला ने कथन किया है कि दिनांक 30.03.2018 को, लगभग 1:30 अपराह्न पर, उन्होंने मृतका के शरीर का शवपरीक्षण किया। बाह्य परीक्षण करने पर, यह पाया गया कि सिर, चेहरे और जघन क्षेत्र को छोड़कर, संपूर्ण शरीर पर सफेद पट्टियाँ बंधी हुई थीं। शरीर छूने पर ठंडा था, मृत्यु के उपरांत अकड़न थी और जीभ मुंह के अंदर स्थित होने के साथ, दोनों आँखें और मुंह बंद थे।

चोटों का विवरण: शरीर के निम्नलिखित भागों पर डर्मो–एपिडर्मल संक्रमण के साथ जलने की चोटें पाई गईं: –

1. चेहरा और गर्दन – 5%
2. सीना और पेट – 12%
3. दायाँ ऊपरी अंग – 9%
4. बायाँ ऊपरी अंग (हथेली को छोड़कर) – 8.5%
5. पीठ – 18%

6. दायाँ निचला अंग (पैर को छोड़कर) – 17%

7. बायाँ निचला अंग (पैर को छोड़कर) – 17%

8. जननांग – 1%

अ.सा.– 12 डॉ. निराला के अनुसार, जलने की चोटों का कुल प्रतिशत 87.5% आंका गया था। इसके अतिरिक्त, नितंबों और दोनों जांघों सहित पीठ के दोनों किनारों पर व्हाईट स्लोउ और हरे रंग के मवाद के सैक मौजूद थे। उन्होंने आगे कथन किया कि आंतरिक परीक्षण करने पर, कपाल, झिल्ली, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी अक्षत और स्वस्थ पाए गए। डायाफ्राम, पसलियाँ, स्वरयंत्र और श्वास नली भी अक्षत और स्वस्थ थे। दोनों फेफड़े अक्षत थे लेकिन सघन थे, और सीना की गुहा में द्रव मौजूद था। हृदयवरण, हृदय और वृहद रक्त वाहिकाएँ अक्षत थीं, और दायाँ निलय रक्त से भरा हुआ था। डायाफ्राम, आंतों की मेसेंटरी, मुंह और ग्रसनी अक्षत और स्वस्थ थे। पेट में लगभग 100 मिलीलीटर गहरे रंग का द्रव था। छोटी आंत में पचा हुआ भोजन था, जबकि बड़ी आंत गैस से फूल गई थी और उसमें मल पदार्थ था। यकृत, प्लीहा और दोनों गुर्दे अक्षत और सघन थे। मूत्राशय अक्षत और खाली था। आंतरिक और बाहरी दोनों जननांग अक्षत और सामान्य पाए गए। डॉ. निराला के मतानुसार, मृत्यु का कारण जलने की चोटों और उनकी जटिलताओं के परिणामस्वरूप हृदय और श्वसन गतिरोध था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. इस प्रकार, उपर्युक्त चिकित्सा साक्ष्य के परिशीलन तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में यह अत्यंत प्रश्नगत हो जाता है कि अ.सा.–1 डॉ. एस.एन. दड़सेना किस प्रकार इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मृतका मानसिक रूप से सक्षम थी और उसने सुसंगत तथा स्वैच्छिक मृत्युकालिक कथन दिया, जबकि मृतका का शरीर अत्यधिक रूप से जला हुआ था। यह कथन मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में अभिलिखित किया गया, जबकि मामला एक गंभीर रूप से जलनग्रस्त पीड़िता का मृत्युकालिक कथन लेने से संबंधित था।ऐसी परिस्थिति में निष्पक्षता और प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति सामान्यतः अनिवार्य मानी जाती है। अ.सा.–1 डॉ. एस.एन. दड़सेना द्वारा यह कहा जाना कि तीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं थे, किसी भी आधिकारिक अभिलेख से साबित नहीं होता। इसके अतिरिक्त, यह भी संकेत नहीं मिलता कि मृतका के किसी परिजन को मृत्युकालिक कथन का साक्षी बनाने या मृतका की स्थिति की पुष्टि हेतु आहूत करने का प्रयास किया गया हो। साथ ही, जले हुए हाथ से प्रतिकात्मक अंगूठे का निशान लेने की प्रक्रिया साक्ष्यात्मक विश्वसनीयता से रहित है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह प्रतीकात्मक निशान किस प्रकार बनाया गया, न ही इसकी संपुष्टि हेतु कोई दस्तावेजी, फोटोग्राफिक या वीडियो प्रमाण प्रस्तुत किया गया, जिससे कथन की विश्वसनीयता और भी कमज़ोर हो जाती है। ऐसा कोई विधिवत चिकित्सकीय प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि मृतका सचेत, अभिमुख और मानसिक रूप से कथन देने योग्य स्थिति में थी। साथ ही स्वयं चिकित्सक द्वारा किए गए गंभीर स्वीकारोक्ति को देखते हुए मृत्युकालिक कथन की स्वैच्छिकता और सत्यता गहराई से संदिग्ध हो जाती है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, अ.सा.–2 रसिया, अ.सा.–3 (मृतका के पिता) और अ.सा.–4 (मृतका की माता) पक्षद्रोही हो गए और उन्होंने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कथन किया कि मृतका ने उन्हें यह नहीं बताया कि अपीलार्थी ने उसके शरीर पर मिट्टीतेल डालकर आग लगाई और मौके से फरार हो गया। इसके अतिरिक्त, अ.सा.–9 (मृतका की बहन) ने स्पष्ट रूप से कथन किया कि अस्पताल में उसकी बहन/मृतका कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी और उसे नहीं पता कि किसने उसकी बहन/मृतका को जलाया। उधर अ.सा.–13 श्रीमती नोविता सिन्हा, नायब तहसीलदार, ने कथन किया कि वह मृतका की मृत्यु के बाद अस्पताल पहुँची थीं और स्वीकार किया कि मृतका के हाथ एवं हथेलियाँ पट्टियों से ढकी थीं। इसके अतिरिक्त, अ.सा.–1 डॉ. एस.एन. दड़सेना ने मृत्युकालिक कथन प्रमाण–पत्र में मृतका की कथन देने की

सक्षमता के संबंध में कुछ नहीं कहा है, जबकि इसके विपरीत दस्तावेज़ (प्र.पी.–3A) में उन्होंने उल्लेख किया है कि मृतका मृत्युकालिक कथन देने में सक्षम है और दोनों दस्तावेज़ों पर एक ही तिथि और समय दर्ज है। इन दोनों दस्तावेज़ों के मध्य यह विरोधाभास मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता पर और अधिक संदेह उत्पन्न करता है।

27. अभिलेख पर मौजूद संपूर्ण साक्ष्य पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात्, यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित करने में असफल रहा है। अपीलार्थी को फँसाने वाला कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और अभियोजन का पूरा प्रकरण एकमात्र मृत्युकालिक कथन (प्र.पी./5) पर आधारित है, तथापि, मृतका को लगी चोटों की प्रकृति और सीमा को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि अ.सा.– 1, डॉ. एस.एन. दड़सेना को मृत्युकालिक कथन देते समय मृतका मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी, और उक्त मृत्युकालिक कथन भी न तो सत्य और न ही स्वैच्छिक प्रतीत होता है। प्रकरण के अन्य महत्वपूर्ण पहलू, जैसे हेतुक,मेमोरेंडम और ज़ब्ती भी अभियोजन द्वारा विधि के अनुसार स्थापित नहीं किए गए हैं। यद्यपि विधि एक चिकित्सक को मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने की स्वीकृति प्रदान करता है, किंतु ऐसे अभिलेखन के साथ यह स्पष्ट स्पष्टीकरण अवश्य होना चाहिए कि इसे संबंधित कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा क्यों अभिलिखित नहीं किया गया। वर्तमान प्रकरण में, विवेचना अधिकारी ने केवल यह कथन किया कि तीन कार्यपालक दंडाधिकारी अनुपलब्ध थे, किंतु उस प्रयासों का कोई समर्थन दस्तावेज़ या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, स्वैच्छिक कथन देने के लिए मृतका की मानसिक और शारीरिक स्वस्थ्यता अत्यधिक संदिग्ध है। कई अभियोजन साक्षियों ने स्वीकार किया है कि मृतका ने उन्हें ऐसा कोई कथन नहीं दिया जिसमें यह आरोप लगाया गया हो कि अपीलार्थी ने उसके शरीर पर मिट्टीतेल डालकर उसे आग लगा दी थी और उसकी शारीरिक स्थिति ऐसी थी कि वह बोलने की स्थिति में नहीं थी। मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने वाले चिकित्सक (अ.सा.– 1 एस.एन. दड़सेना) ने स्वयं स्वीकार किया कि मृतका की दोनों हथेलियों में पट्टियाँ बंधी थीं फिर भी अंगूठे का निशान कैसे लिया गया, इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह मृत्युकालिक कथन की प्रामाणिकता और प्रक्रियात्मक शुद्धता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। यह उल्लेख करना भी सुसंगत है कि मृत्युकालिक कथन (प्र.पी.–5), मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्र.पी.–31) और प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.–6) में दो अज्ञात व्यक्तियों की संलिप्तता का उल्लेख है, तथापि, अभियोजन दूसरे व्यक्ति की भूमिका स्पष्ट करने या यह समझाने में विफल रहा है कि उनके विरुद्ध कोई आरोप क्यों नहीं लगाया गया। यह अस्पष्ट विसंगति अभियोजन के प्रकरण को और कमज़ोर करती है। मृत्युकालिक कथन की स्वैच्छिकता, प्रामाणिकता और प्रक्रियात्मक अनुपालन को घेरने वाले इन गंभीर संदेहों के दृष्टिगत, न्यायालय केवल इस साक्ष्य पर निर्भर रहना असुरक्षित पाता है। चूंकि संपूर्ण प्रकरण इस संदिग्ध मृत्युकालिक कथन के इर्द–गिर्द घूमता है और कोई अन्य सुसंगत या ग्राह्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि को यथावत नहीं रखा जा सकता। जैसा कि विधि के सुस्थापित सिद्धांत द्वारा दोहराया गया है, संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, वैध प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता।

28. प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों से, हमारा यह अभिमत है कि मृत्युकालिक कथन के समर्थन में कोई संपुष्ट साक्ष्य नहीं है और अभियोजन द्वारा प्रश्नाधीन अपराध से अपीलार्थी को जोड़ने के लिए कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः, केवल मृत्युकालिक कथन के आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध करना असुरक्षित होगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

29. उपरोक्त विश्लेषण के दृष्टिगत, हमारा यह अभिमत है कि विचारण न्यायालय द्वारा मृत्युकालिक कथन (प्र.पी./5) के आधार पर दर्ज दोषसिद्धि को यथावत नहीं रखा जा सकता। इस प्रकार, अपीलार्थी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अधिरोपित दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किए जाने योग्य है एवं एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है।

30. मृत्युकालिक कथन को अभिलिखित करने से संबंधित तथ्यों पर विचार करने और उपरोक्त संदर्भित निर्णयों में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मापदंडों के आधार पर इसकी प्रामाणिकता का विधिवत परीक्षण करने के उपरांत, हमारा सुविचारित अभिमत है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी–अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करते समय घोर विधिक त्रुटि की है, क्योंकि अभियोजन अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

31. उपरोक्त कारणों से अपीलार्थी–**राजेश ठाकुर उर्फ छोटू उर्फ राजेंद्र ठाकुर** की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक अपील **स्वीकार** की जाती है एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन उसकी दोषसिद्धि एवं दंडादेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। अभियुक्त/अपीलार्थी को उसके विरुद्ध विरचित उक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। वह दिनांक 24.03.2018 से जेल में निरुद्ध बताया गया है, इसलिए, यदि किसी अन्य दाण्डिक प्रकरण में उसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसे अविलंब रिहा किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–क (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 481) के प्रावधानों को विचार में रखते हुए, अभियुक्त–अपीलार्थी, अर्थात् **राजेश ठाकुर उर्फ छोटू उर्फ राजेंद्र ठाकुर** को निर्देश दिया जाता है कि वह संबंधित न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रपत्र संख्या 45 के अनुसार ₹25,000/– (पच्चीस हजार रुपये) की राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो विश्वसनीय ज़मानतदार अविलंब प्रस्तुत करें, जो छह माह की अवधि तक प्रभावशील होगा। इसके साथ ही एक वचनबंध भी प्रस्तुत करना होगा कि वर्तमान निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर होने या अनुमति प्रदान किए जाने की स्थिति में, उक्त अपीलार्थी सूचना प्राप्त होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

33. इस निर्णय की एक प्रतिलिपि सहित विचारण न्यायालय का अभिलेख अनुपालनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विचारण न्यायालय को अविलंब प्रतिप्रेषित की जाए।

सही/–	**सही/–**
(रजनी दुबे)	**(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)**
न्यायाधीश	**न्यायाधीश**

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur